भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1287

सोमवार, 11 दिसंबर, 2023 / 20 अग्रहायण, 1945 (शक)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुआवजा

1287. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को घायल/मृत्यु होने की स्थिति में बहुत कम मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गुजरात में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पर्याप्त और उचित मुआवजा देने के लिए गुजरात के साथ समन्वय से उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): गुजरात सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई गई और प्रशासित कल्याणकारी योजनाओं के अनुसार असंगठित कामगारों/कामगारों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। मुआवजे की राशि अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है, यदि कामगार इन योजनाओं में पंजीकृत होता है।

*****